



पत्रांक: 111 / फा0सं0-03 / DSMNRU / अति0व्या0 / 2025-26
सेवा में,

दिनांक 17 अप्रैल, 2025

सुश्री सम्भ्या सिंह,
232, इंद्रपुरी, भोला खेडा,
पोस्ट- मानस नगर, लखनऊ।
पिन कोड:- 226 0010
मो0न0:- 6392043289

विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 2365 / फा0सं0-03 / DSMNRU / अति0 व्या0 / 2024-25 दिनांक:- 29 मार्च, 2025 के माध्यम से दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित प्रबन्धशास्त्र विभाग में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु निर्धारित मानदेय रू0 40000/- पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम आदेशों तक अतिथि व्याख्याता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

01. विभाग में संचालित ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं का पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा।
02. अतिथि व्याख्याता का मासिक भुगतान विभागाध्यक्ष द्वारा ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के सत्यापन व पुष्टि के आधार पर किया जायेगा।
03. अतिथि व्याख्याता की नियमित ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन कक्षाओं की उपस्थिति भी दर्ज की जायेगी।
04. अतिथि व्याख्याता अपने सूचीबद्धता के आधार पर किसी प्रकार के नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगा। सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याता समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों को मानने के लिये बाध्य होगा।
05. अतिथि व्याख्याता को एक शैक्षिक वर्ष में 08 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा, इसके अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
02. अधिष्ठाता शैक्षणिक, विश्वविद्यालय।
03. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
04. सम्बन्धित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
- ✓ 05. सिस्टम एनालिस्ट विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव



पत्रांक: 109/फा0सं0-03/DSMNRU/अति0व्या0/2025-26
सेवा में,

दिनांक 17 अप्रैल, 2025

डॉ0 अंकिता तोमर,
153, शांतिनगर, इन्दिरानगर,
लखनऊ।
मो0न0:- 9997688250

विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 2365/फा0सं0-03/DSMNRU/अति0 व्या0/2024-25 दिनांक:- 29 मार्च, 2025 के माध्यम से दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित प्रबन्धशास्त्र विभाग में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु निर्धारित मानदेय रू0 40000/- पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम आदेशों तक अतिथि व्याख्याता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

01. विभाग में संचालित ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं का पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा।
02. अतिथि व्याख्याता का मासिक भुगतान विभागाध्यक्ष द्वारा ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के सत्यापन व पुष्टि के आधार पर किया जायेगा।
03. अतिथि व्याख्याता की नियमित ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन कक्षाओं की उपस्थिति भी दर्ज की जायेगी।
04. अतिथि व्याख्याता अपने सूचीबद्धता के आधार पर किसी प्रकार के नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगा। सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याता समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों को मानने के लिये बाध्य होगा।
05. अतिथि व्याख्याता को एक शैक्षिक वर्ष में 08 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा, इसके अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
02. अधिष्ठाता शैक्षणिक, विश्वविद्यालय।
03. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
04. सम्बन्धित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
05. सिस्टम एनालिस्ट विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव



पत्रांक: 110/फा0सं0-03/DSMNRU/अति0व्या0/2025-26

दिनांक 17 अप्रैल, 2025

सेवा में,

श्री शिवम चतुर्वेदी,
इंद्रपुरी कॉलोनी, भिठौली,
आई0आई0एम0 रोड,
लखनऊ, पिन कोड:- 226 013
मो0न0:- 9889133100

विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं0 2365/फा0सं0-03/DSMNRU/अति0 व्या0/2024-25 दिनांक:- 29 मार्च, 2025 के माध्यम से दिनांक 08 अप्रैल, 2025 को आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित प्रबन्धशास्त्र विभाग में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु निर्धारित मानदेय रू0 40000/- पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम आदेशों तक अतिथि व्याख्याता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

01. विभाग में संचालित ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं का पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा।
02. अतिथि व्याख्याता का मासिक भुगतान विभागाध्यक्ष द्वारा ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के सत्यापन व पुष्टि के आधार पर किया जायेगा।
03. अतिथि व्याख्याता की नियमित ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन कक्षाओं की उपस्थिति भी दर्ज की जायेगी।
04. अतिथि व्याख्याता अपने सूचीबद्धता के आधार पर किसी प्रकार के नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगा। सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याता समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों को मानने के लिये बाध्य होगा।
05. अतिथि व्याख्याता को एक शैक्षिक वर्ष में 08 आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा, इसके अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
02. अधिष्ठाता शैक्षणिक, विश्वविद्यालय।
03. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
04. सम्बन्धित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
- ✓ 05. सिस्टम एनालिस्ट विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव



पत्रांक: १०४/फा०सं०-०३/DSMNRU/अति०व्या०/२०२५-२६
सेवा में,

दिनांक १७ अप्रैल, २०२५

डॉ० मालविका श्रीवास्तव,
४/४२७ विवेक खण्ड गोमतीनगर,
लखनऊ।
पिन कोड:- २२६ ०१०
मो०न०:- ९०७९७३०९४६

विश्वविद्यालय के विज्ञापन सं० २३६५/फा०सं०-०३/DSMNRU/अति० व्या०/२०२४-२५ दिनांक:- २९ मार्च, २०२५ के माध्यम से दिनांक ०८ अप्रैल, २०२५ को आयोजित साक्षात्कार के उपरान्त विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत संचालित प्रबन्धशास्त्र विभाग में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पठन-पाठन हेतु निर्धारित मानदेय रू० ४००००/- पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम आदेशों तक अतिथि व्याख्याता के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है।

०१. विभाग में संचालित ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं का पर्यवेक्षण विभागाध्यक्ष द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा।
०२. अतिथि व्याख्याता का मासिक भुगतान विभागाध्यक्ष द्वारा ऑन-लाइन/ऑफलाइन कक्षाओं के संचालन के सत्यापन व पुष्टि के आधार पर किया जायेगा।
०३. अतिथि व्याख्याता की नियमित ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन कक्षाओं की उपस्थिति भी दर्ज की जायेगी।
०४. अतिथि व्याख्याता अपने सूचीबद्धता के आधार पर किसी प्रकार के नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेगा। सूचीबद्ध अतिथि व्याख्याता समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों को मानने के लिये बाध्य होगा।
०५. अतिथि व्याख्याता को एक शैक्षिक वर्ष में ०८ आकस्मिक अवकाश अनुमन्य होगा, इसके अतिरिक्त कोई अवकाश देय नहीं होगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष के कार्यालय में उपस्थित होकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सम्पर्क करने का कष्ट करें।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

०१. मा० कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
०२. अधिष्ठाता शैक्षणिक, विश्वविद्यालय।
०३. समस्त अधिकारीगण, विश्वविद्यालय।
०४. सम्बन्धित अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
०५. सिस्टम एनालिस्ट विश्वविद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
०६. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव